प्रेस विज्ञप्ति
15/07/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने संगठित आप्रवासन एवं वीज़ा धोखाधड़ी के माध्यम से उत्पन्न अपराध से अर्जित आगम के धन शोधन में संलिप्तता के आरोप में मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, अमनदीप सिंह, पूनम रानी, अंकुर कुमार केहर, नितिन विज, कमलजोत कंसल, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर तथा मेसर्स रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 13.07.2026 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

ईडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास, नई दिल्ली द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस एवं दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई अनेक एफआईआर के आधार पर तलाशी प्रारंभ की। उक्त एफआईआर एक सुनियोजित साजिश से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के छात्र एवं आगंतुक वीज़ा प्राप्त करने के लिए जाली शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, मनगढ़ंत अनुभव प्रमाण-पत्र, फर्जी वित्तीय विवरण तथा धनराशि के धोखाधड़ीपूर्ण प्रमाण तैयार कर प्रस्तुत किए जाते थे।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह उजागर हुआ कि अमनदीप सिंह एवं पूनम रानी द्वारा प्रबंधित मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड ऐसे वीज़ा आवेदकों को लक्षित कर सुनियोजित रूप से एक आप्रवासन धोखाधड़ी रैकेट संचालित कर रही थी, जो अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताओं अथवा वित्तीय पात्रता से वंचित थे। आरोपियों द्वारा वीज़ा संबंधी आवश्यकताओं की झूठी पूर्ति दर्शाने के लिए जाली शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, फर्जी कार्यानुभव प्रमाण-पत्र, गैप कवर दस्तावेज तथा अस्थायी निधि व्यवस्था उपलब्ध कराने के बदले आवेदकों से भारी धनराशि वसूली गई। विदेशी विश्वविद्यालयों एवं वीज़ा प्राधिकारियों के साथ पत्राचार सहित वीज़ा आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया आरोपियों द्वारा संचालित ई-मेल खातों के माध्यम से नियंत्रित की जाती थी।

जांच में आगे यह पता चला कि श्री अंकुर कुमार केहर द्वारा संचालित मेसर्स ओवरसीज पार्टनर ने श्री नितिन विज द्वारा संचालित मेसर्स रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर साजिश के तहत वीज़ा आवेदकों के बैंक खातों में अस्थायी रूप से धनराशि जमा कराने की व्यवस्था की, ताकि उनकी वित्तीय क्षमता का झूठा आभास उत्पन्न किया जा सके। जांच के अनुसार, इस तंत्र के माध्यम से 154 वीज़ा आवेदकों के बैंक खातों में लगभग 40 लाख रुपये अल्प अवधि के लिए जमा कर तथा तत्पश्चात उसे तुरंत निकालकर धनराशि का बनावटी प्रमाण उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार की धोखाधड़ीपूर्ण धनराशि व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आरोपियों द्वारा प्रति आवेदक लगभग 40,000 रुपये वसूले जाते थे।

जांच में यह भी पता चला कि कमलजोत कंसल द्वारा संचालित मेसर्स इन्फोविज़ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने ऐसे वीज़ा आवेदकों के लिए मनगढ़ंत प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं अनुभव प्रमाण-पत्र तैयार किए, जिन्होंने कभी कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था अथवा किसी संस्थान में कार्य नहीं किया था। तलाशी के दौरान जब्त की गई डायरियों तथा अपराध-संकेती दस्तावेज से नकद प्रतिफल के बदले फर्जी रोजगार संबंधी दस्तावेज तैयार किए जाने की पुष्टि हुई।

जांच के दौरान, ईडी ने फरवरी 2025 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत आरोपी व्यक्तियों से जुड़े कई परिसरों और लॉकरों में तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, अवैध लेनदेन के रिकॉर्ड वाली डायरिया, 19 लाख रुपये की अघोषित नकदी और लगभग 1 किलो वजन की एक सोने की छड़ जब्त की गई। जांच में वीजा धोखाधड़ी और संबंधित धन शोधन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध के आगम की पहचान की गई।

ईडी की जांच में अपराध से अर्जित आगम का मूल्य लगभग 2.14 करोड़ रुपये आंका गया, जिसमें मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्जित 1.37 करोड़ रुपये, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एवं मेसर्स रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा अर्जित 61.60 लाख रुपये तथा मेसर्स इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा अर्जित 15 लाख रुपये शामिल हैं।

जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्तियों में अपराध से प्राप्त आगम का प्रतिनिधित्व करने वाली आवासीय संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

जांच में यह स्थापित हुआ है कि अभियुक्तों ने संगठित आप्रवासन धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध से अर्जित आगम (Proceeds of Crime) को जाली शैक्षणिक दस्तावेज, फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र, मनगढ़ंत वित्तीय विवरण तथा धनराशि के धोखाधड़ीपूर्ण प्रमाण तैयार कर जानबूझकर उत्पन्न किया, अर्जित किया, अपने कब्जे में रखा, छिपाया तथा उसका उपयोग किया, जिससे अपराध से अर्जित आगम को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया।

आगे की जाँच जारी है।